न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनीता मीणा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 52/2024

1. सज्जन सिंह पुत्र छीतर सिंह
2. संग्राम सिंह पुत्र अमर सिंह
3. हिम्मत सिंह पुत्र अमर सिंह
4. जसवन्त सिंह पुत्र अमरसिंह

   समस्त जाति बडवा नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर
5. अवधेश प्रताप सिंह पुत्र हरि सिंह जाति बडवा नि0 तिवाडीयों का बास, वार्ड नंबर 08, आसलपुर तह0 जोबनेर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कविता यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
2. पूनम यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
3. रणविजय सिंह यादव पुत्र रणवीर सिंह यादव
4. रीमा यादव पुत्री रणवीर सिंह यादव
5. स्नेहलता यादव पत्नि रणवीर सिंह यादव

   समस्त जाति यादव नि0 नि0 16, श्रीराम वाटिका, विवेकानन्द मार्ग, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर
6. महावीर सिंह पुत्र छीतर सिंह नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जिला जयपुर
7. परम प्रताप सिंह पुत्र हरि सिंह
8. श्याम प्रताप सिंह पुत्र हरि संह

   समस्त जाति बडवा नि0 तिवाडीयों का बास, वार्ड नंबर 08, आसलपुर तह0 जोबनेर।
9. तहसीलदार जोबनेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी

2. श्री लोकेश कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण सं0 01 लगा0 05

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर

दिनांक :– 16/07/2025

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 114

रकबा 0.6449 हे0 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर में स्थित हैं, जो सम्पूर्ण वादी कम्पनी के स्वत्व व अधिकार व खातेदारी की भूमि है। जिसमे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 7, 8 व 9 राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सेदार है। उक्त आराजी खसरा नंबर 114 के दक्षिणी व पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2.0485 हे0 स्थित है। जिसमें प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 05 राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सेदार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 के खसरा नंबरान 114 व 117 के मध्य सीमा का अभी तक विधिवत् सीमाज्ञान नहीं हुआ है। और सभी खातेदार अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। वादीगण/प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 114 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा, प्रतिवादी की आराजी खसरा नंबर 117 से लगती हुई है जिस पर वादीगण/प्रार्थीगण ने अपने खसरा नंबर 114 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा पर पुख्ता तार बाउण्ड्री कर रखी है, जो कि कई वर्षो से रखी है। तथा अपनी आराजी पर शांति पूर्ण तरिके से काश्त करते आ रहे है परन्तु दिनांक 03.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 ने जबरन वादीगण की आराजी खसरा नंबर 114 वाके ग्राम आसलपुर की दक्षिणी व पूर्वी सीमा हो रही तार बाउण्ड्री को हटाने की धमकी दी जिस पर वादीगण/प्रार्थीगण ने ऐतराज किया, तो ऐलानिया धमकी दी कि हम वादीगण/प्रार्थीगण के खसरा नंबर 114 की दक्षिणी व पश्चिमी सीमा पर हो रखी तार बाउण्ड्री को बिना विधिवत सीमाज्ञान करवाये हटा देगें। अगर अप्रार्थी सं0 01 लगा0 05 अपने उद्देश्य में कायमायाम हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 01 लगा0 05 को दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 114 वाके ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर की दक्षिणी व पूर्वी सीमा जो खसरा नंबर 117 से लगती हुई है पर बनी प्रार्थीगण/वादीगण की बनी तारबाउण्ड्री को बिना सीमाज्ञान करवाये खुर्द–बुर्द नहीं करे। तथा खसरा नंबर 114 व 117 की मौके की यथास्थिति बनाएं रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 7, 8 एवं 9 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी सं0 6 को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 05 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 114 रकबा 0.6449 हे0 वाकै ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर मे स्थित है जिसमे प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगा0 8 जमाबंदी अनुसार हिस्सेदार है। इसी प्रकार खसरा नंबर 114 के दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 05 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2.0485 हे0 स्थित है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदार है। प्रार्थीगण का यह कथन की खसरा नंबर 117 का कोई विधिवत सीमाज्ञान नहीं हुआ है, गलत है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 की आराजी खसरा नंबर 117 का विधिवत रूप से दिनांक 01.07.2024 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। वादीगण–प्रार्थीगण ने अपनी आराजी खसरा नंबर 114 का आज दिनांक तक कोई विधिवत रूप से सीमाज्ञान/पत्थरगढी नहीं करवा रखी है तथा प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपनी उक्त आराजीयात पर बिना सीमाज्ञान व सीमा कायम किये ही गलत रूप से तारबंदी कर रखी है तथा उक्त तारबंदी के आधार पर प्रार्थीगण/वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजीयात को जबरन दबाकर कब्जा करना चाहते है इसी नियत से यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वादीगण–प्रार्थीगण को इस बात की पख्ता जानकारी रही है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 05 से अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 117 का विधिवत रूप से तहसीलदार जोबनेर के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया है तथा उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रतिवादी/अप्रार्थी सख्या 01 लगा0 05 की आराजी खसरा नंबर 117 की सीमाएं वादीगण/प्रार्थीगण की आराजीयात में जाती है जिससे वादीगण–प्रार्थीगण के द्वारा जो तारबंदी बिना किसी सीमाज्ञान के की गयी है उसे बरकरारा रखने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गयो जो खारिज किये जोन योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी–वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी खसरा खसरा नंबर 114 वाकै ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8 के स्वामित्व की आराजीयात है, जिनके दक्षिणी–पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजी खसरा नंवर 117 वाकै ग्राम आसलपुर स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 के खसरा नंबरान 114 व 117 के मध्य सीमा का अभी तक विधिवत् सीमाज्ञान नहीं हुआ है। और सभी खातेदार अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना चाही गयी है की आराजी खसरा नंबर 114 वाके ग्राम आसलपुर तह0 जोबनेर की दक्षिणी व

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

पूर्वी सीमा जो खसरा नंबर 117 से लगती हुई है पर बनी प्रार्थीगण/वादीगण की बनी तारबाउण्ड्री को बिना सीमाज्ञान करवाये खुर्द-बुर्द नहीं करे। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 05 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबरान 114 व 117 के मध्य सीमा का विधिवत् सीमाज्ञान नहीं होने के अपने कथनों को सिद्ध करने में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा खसरा नंबर 114 वाकै ग्राम आसलपुर तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो प्रार्थी के स्वामित्व की आराजीयात है, जिनके दक्षिण दिशा में प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 05 की आराजी खसरा नंबर 117 वाकै ग्राम आसलपुर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 05 द्वारा नियमानुसार न्यायालय में चाराजोही कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहम पत्थरगढी के आदेश प्राप्त किये जा चुके है। अगर उक्त आदेश की पालना सुनिशचित नहीं हो पाती है तो असुविधा भी अप्रार्थीगण को ही होगी। अगर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अप्रार्थीगण के लिए असुविधाजनक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थीगण की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

03 **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 04/07/2024 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिता मीणा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर